(ii) यदि ऐसी विवरणी के आधार पर कोई प्रतिदाय देय है तो उसे निर्धारिती को दिया जाएगा और इस आशय की एक सूचना निर्धारिती को भेजी जाएगी :

परंतु इस उपधारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे कोई प्रतिदाय देय नहीं है वहां विवरणी की अभिस्वीकृति इस उपधारा के अधीन सूचना समझी जाएगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

(2) जहां, कोई विवरणी धारा 115बघ के अधीन दी गई है, वहां निर्धारण अधिकारी, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने सीमांत फायदे के मूल्य का कम कथन नहीं किया है या किसी भी रीति में कर का कम संदाय नहीं किया है तो वह निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को उसके कार्यालय में उपस्थित हो या वहां ऐसे किसी साक्ष्य को पेश करे या पेश कराए, जिस पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है :

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी सूचना की निर्धारिती पर, उस मास के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् तामील नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को या यथाशीघ्र पश्चात्, ऐसे साक्ष्य की जो निर्धारिती प्रस्तुत करे, और ऐसे अन्य साक्ष्य की, जिसकी निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अपेक्षा करे, सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर, जो उसने एकत्रित की हैं, विचार करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती द्वारा संदत्त या संदेय सीमांत फायदों के मूल्य का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय राशि का या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय का निर्धारण करेगा ।

(4) जहां, धारा 115बच की उपधारा (3) के अधीन कोई नियमित निर्धारण किया जाता है वहां,—

(क) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई कर या ब्याज ऐसे नियमित निर्धारण के संबंध में संदत्त किया गया समझा जाएगा ;

(ख) यदि नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है या उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम को निर्धारिती द्वारा संदेय कर समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण।

115बच. यदि कोई व्यक्ति, जो नियोजक है—

(क) धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरणी तैयार करने में असफल रहता है और उसने उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई विवरणी या उपधारा (4) के अधीन कोई पुनरीक्षित विवरणी तैयार नहीं की है, या

(ख) धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किसी निदेश का पालन करने में असफल रहता है, या

(ग) विवरणी तैयार करने पर धारा 115बङ की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है,

तो निर्धारण अधिकारी, सभी सुसंगत सामग्री पर, जो निर्धारण अधिकारी ने एकत्रित की हैं, विचार करने के पश्चात्, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती से यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करके उसे एक अवसर दिया जाएगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाली किसी तारीख और समय पर यह हेतुक दर्शित करे कि निर्धारण को उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना इस धारा के अधीन निर्धारण करने से पूर्व जारी की गई है, ऐसा अवसर देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

निर्धारण से छूट गए सीमांत फायदे ।

115बछ. यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर से प्रभार्य कोई सीमांत फायदा किसी निर्धारण वर्ष के निर्धारण से छूट गया है तो वह धारा 115बज, धारा 150 और धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) ऐसे सीमांत फायदों का औरकर से प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमांत फायदों का, जो निर्धारण से छूट गए हैं और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में बाद में उसकी जानकारी में आते हैं, निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित भी ऐसे मामले समझे जाएंगे जहां कर से प्रभार्य सीमांत फायदे निर्धारण से छूट गए हैं, अर्थात् :—

(क) जहां निर्धारिती द्वारा सीमांत फायदों की कोई विवरणी नहीं दी गई है ;

(ख) जहां निर्धारिती द्वारा सीमांत फायदे की विवरणी दी गई है किंतु कोई निर्धारण नहीं किया गया है और निर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि निर्धारिती ने विवरणी में सीमांत फायदे के मूल्य का कम कथन किया है ;

(ग) जहां कोई निर्धारण किया गया है, किंतु कर से प्रभार्य सीमांत फायदा कम निर्धारित किया गया है ।

जहां सीमांत फायदा निर्धारण से छूट गया है वहां सूचना का जारी किया जाना ।

115बज. (1) धारा 115बच के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने से पूर्व, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सीमांत फायदों की, जिनके संबंध में सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अध्याय के अधीन वह निर्धारणीय है, विहित प्ररूप

में और विहित रीति में सत्यापित करे तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी प्रस्तुत करे और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार, जहां तक हो सके इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 115बघ के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो ।

(2) निर्धारण अधिकारी, इस धारा के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जारी नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे कर से, जो इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण से छूट गया है, प्रभार्य ऐसे सीमांत फायदों का अवधारण करने में धारा 115बछ के स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(4) उस दशा में, जहां धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बछ के अधीन सुसंगत वर्ष के लिए कोई निर्धारण किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त का निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए सही मामला है ।

सीमांत फायदा कर का संदाय ।

115बझ. इस बात के होते हुए भी कि किसी सीमांत फायदे के संबंध में नियमित निर्धारण किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में किया जाना है, ऐसे सीमांत फायदे पर कर, धारा 115बच के उपबंधों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम में संदेय होगा, ऐसे सीमांत फायदों के संबंध में, जो उस वित्तीय वर्ष से ठीक आगामी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य है, ऐसे सीमांत फायदों को इस अध्याय में इसके पश्चात्, "चालू सीमांत फायदे" कहा गया है ।

सीमांत फायदों के संबंध में अग्रिम कर ।

115बञ. (1) प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 115बझ के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी है, स्वप्रेरणा से, उपधारा (2) में अधिकथित रीति में संगणित अपने चालू सीमांत फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करेगा ।

(2) वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारिती द्वारा संदेय अग्रिम कर की रकम प्रत्येक तिमाही में संदत्त या संदेय धारा 115बग में निर्दिष्ट सीमांत फायदे के मूल्य का तीस प्रतिशत होगी और ऐसी तिमाही के आगामी मास की पंद्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी:

परंतु यह कि वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संदेय अग्रिम कर उक्त वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उससे पूर्व संदेय होगा ।

(3) जहां कोई निर्धारिती, किसी तिमाही के लिए अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर, उस तिमाही में संदत्त या संदेय सीमांत फायदों के मूल्य के तीस प्रतिशत से कम है वहां वह उस रकम पर, जिससे संदत्त अग्रिम कर कम होता है तिमाही या प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए जिसके लिए कमी जारी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

सीमांत फायदों की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ।

115बट. जहां सीमांत फायदों के लिए विवरणी धारा 115बघ की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में नियत तारीख के पश्चात् दी जाती है या नहीं दी जाती है वहां नियोजक नियत तारीख से ठीक अगली तारीख को प्रारंभ होने वाली और,—

(क) जहां विवरणी नियत तारीख के पश्चात् दी जाती है, वहां विवरणी देने की तारीख को समाप्त होने वाली ; या

(ख) जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है, वहां धारा 115बच के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को समाप्त होने वाली,

अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए, जो धारा 115बङ की उपधारा (1) के या नियमित निर्धारण के अधीन यथाअवधारित हो, सीमांत फायदों के मूल्य पर कर की उस रकम पर, जिसमें से धारा 115बञ के अधीन संदत्त अग्रिम कर घटा दिया गया हो, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में, 'नियत तारीख' से धारा 115बघ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है जो नियोजक के मामले में लागू होती है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण धारा 115बछ के अधीन प्रथम बार किया जाता है वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण समझा जाएगा ।

(2) धारा 234क की उपधारा (2) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंध यथासाध्य इस धारा को लागू होंगे ।

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना।

115बठ. इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध, यथाशक्य, सीमांत फायदों के संबंध में भी लागू होंगे ।'।

धारा 119 का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) "धारा 115त, धारा 115ध", शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 115त, धारा 115ध, धारा 115बघ, धारा 115बङ, धारा 115बच, धारा 115बछ, धारा 115बज, धारा 115बञ, धारा 115बट" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "आय के किसी वर्ग" शब्दों के स्थान पर, "आय या सीमांत फायदों के किसी वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 124 का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) "धारा 143 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 115बङ की उपधारा (2) या धारा 143 की उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "उसने विवरणी देने के लिए धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन सूचना द्वारा या धारा 144 के पहले परन्तुक के अधीन यह हेतुक दर्शित करने की सूचना द्वारा" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उसने विवरणी देने के लिए धारा 115बघ की उपधारा (2) या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 115बज की उपधारा (1) के अधीन या धारा 148 के अधीन सूचना द्वारा या धारा 115बच के पहले परन्तुक के अधीन या धारा 144 के पहले परन्तुक के अधीन हेतुक दर्शित करने की सूचना द्वारा" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, —

(क) उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) खंड (क) में "कंपनी" शब्द के स्थान पर, "कंपनी या फर्म" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में "जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है" शब्दों के स्थान पर, "जो कंपनी या फर्म से भिन्न कोई व्यक्ति है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक में,—

(अ) खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (vi) के अंत में, "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(इ) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vii) उसने अपने विद्युत के उपभोग के संबंध में पचास हजार रुपए या अधिक का व्यय उपगत किया है,";

(iv) तीसरे परंतुक में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर, "कंपनी या फर्म" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक या अध्याय 6क के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक हो जाती है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की एक विवरणी विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा ।";

(ख) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2005 के पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 139क का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 139क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (iii) में, "धारा 139 की उपधारा (4क)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"धारा 139 की उपधारा (4क) ; या

(iv) जो नियोजक है, जिससे धारा 115बघ के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है ;";

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति से,जिसे उपधारा (1) के खंड (iv) से भिन्न किसी खंड के अधीन कोई स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है, कोई दूसरा स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और उसे पहले से आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक को सीमांत फायदा कर के संबंध में स्थायी लेखा संख्यांक समझा जाएगा ।"।

धारा 140 का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में, आरंभिक भाग में, "धारा 139 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2006 से, रखे जाएंगे ।

धारा 140क का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 140क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) उपधारा (1) में "धारा 139" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) धारा 243क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर घटा दिया जाएगा;

(ii) धारा 115बट के अधीन संदेय ब्याज की संगणना विवरणी में घोषित सीमांत फायदों के कुल मूल्य पर कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा ;";

(ग) उपधारा (2) में "धारा 143" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 115बङ या धारा 115बच या धारा 143" शब्द, अंक, और अक्षर रखे जाएंगे ।